निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 भाद्र 1927 (श०)

(सं० पटना 502) पटना, मंगलवार, 13 सितम्बर 2005

गृह (विशेष) विभाग

अधिसूचना

2 सितम्बर 2005

सं० 6629-एल०एच०जी०--1555।2001—भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार के राज्यपाल बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा की विभिन्न कोटियों में नियुक्ति एवं प्रोन्नति को विनियमित करने के लिये निम्नांकित नियमावली बनाते हैं :—

बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा नियमावली, 2005

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ—(1) यह नियमावली बिहार गृह रक्षावाहिनी सेवा नियमावली; 2005 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएं—इस नियमावली में, यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "बिहार गृहरक्षा वाहिनी अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम; 1947;

(ख) "बिहार गृहरक्षा वाहिनी नियमावली" से अभिप्रेत है बिहार गृह रक्षा वाहिनी नियमावली; 1953;

(ग) "बिहार गृह रक्षावाहिनी सेवा" से अभिप्रेत है राज्य की गृह रक्षावाहिनी सेवा में नियुक्त वेतनभोगी पदाधिकारी एवं कर्मचारी ;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार के राज्यपाल ;

(ङ) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(च) "महासमादेष्टा" से अभिप्रेत है बिहार गृह रक्षा वाहिनी के महासमादेष्टा ;

(छ) "अपर महासमादेष्टा" से अभिप्रेत है बिहार गृह रक्षा वाहिनी के अपर महासमादेष्टा ;

(ज) "उप-महासमादेष्टा" से अभिप्रेत है बिहार गृह रक्षा वाहिनी के उप-महासमादेष्टा;

(झ) "समादेष्टा" से अभिप्रेत है बिहार गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा ;

(ट) "मुख्यालय" से अभिप्रेत है गृह रक्षावाहिनी के महासमादेष्टा का कार्यालय ;

(ठ) "गृहरक्षक" से अभिप्रेत है बिहार गृहरक्षा वाहिनी अधिनियम, 1947 की धारा 2(क) एवं गृहरक्षा वाहिनी नियमावली, 1953 के नियम 4 के अन्तर्गत नामांकित स्वयंसेवी गृहरक्षक ;

(ड) "पुलिस हस्तक" से अभिप्रेत है बिहार आरक्षी हस्तक, 1978 (समय-समय पर यथासंशोधित);

(ढ़)– "विभाग" से अभिप्रेत है बिहार सरकार का गृह (विशेष) विभाग ।

3– **वेतनभोगी कर्मियों के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व :–** महासमादेष्टा के अधीन विभिन्न कोटि के वैतनिक पदाधिकारी एवं कर्मियों के निम्नांकित कर्त्तव्य एव दायित्व होंगे :–

(क) गृह रक्षकों को पुलिस के सहयोगी बल के रूप मे कार्य करने तथा आंतरिक सुरक्षा बनाये रखने, किसी आपातकाल, हवाई आकमण, आग, बाढ़, महामारी या प्राकृतिक आपदा इत्यादि में जन समुदाय की सहायता करने के कार्य में प्रशिक्षित करना, उपरोक्त जिम्मेवारियों के निवर्हन हेतु नेतृत्व प्रदान करना, बल में उच्च कोटि का अनुशासन तथा मनोबल बनाये रखना तथा बल के कल्याण की जिम्मेवारी का निवर्हन करना ।

(ख) आवश्यक सेवाओं जैसे मोटर परिवहन, अग्रणी तथा यांत्रिकी दल, अग्निशाम सेवा, प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार, जलापूर्ति तथा विद्युत आपूर्ति प्रतिष्ठानों के संचालन आदि हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित कार्यकारी दस्ते तैयार करना ।

(ग) गृहरक्षा वाहिनी अधिनियम / नियमावली के अंतर्गत गृहरक्षकों को प्रतिनियुक्त करना, समय– समय पर मुख्यालय द्वारा आवंटित वर्दी एवं साज–सज्जा उपलब्ध कराना, उनपर प्रशासनिक नियंत्रण रखना एवं इससे संबंधित वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना ।

(घ) उपर्युक्त कार्यो के अतिरिक्त गृह रक्षा वाहिनी अधिनियम एवं नियमावली तथा बिहार आरक्षी हस्तक में वर्णित नियमों के अनुरूप कार्यो का निष्पादन करना एवं करवाना ।

4– **वैतनिक पद 1**–बिहार गृह रक्षा वाहिनी संवर्ग के वर्दीधारी कोटि के निम्नलिखित पद होंगे :–

क्र0	पद का नाम	प्रोन्नत / सीधी नियुक्ति / चयनित पद / पदस्थापन पर	वेतनमान
1	2	3	4
	समादेष्टा संवर्ग		
1	वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा	प्रोन्नत पद	12,000 – 16,500
2	प्रमंडलीय समादेष्टा	प्रोन्नत पद	10,000 – 15,200
3	जिला समादेष्टा	50% प्रोन्नति 50% सीधी नियुक्ति	6,500 – 10,500
	गुल्म समादेशक संवर्ग		
1	निरीक्षक	प्रोन्नत पद	6,500 – 10,500
2	निरीक्षक (परिवहन)	प्रोन्नत पद	6,500 – 10,500
3	गुल्म समादेशक	50% प्रोन्नति 50% सीधी नियुक्ति	5,500 – 9,000
4	गुल्म समादेशक, (आयुधपाल)	अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड I का प्रोन्नत पद	5,500 – 9,000
5	गुल्म समादेशक (परिवहन)	अधिनायक (परिवहन) ग्रेड I का प्रोन्नत पद	5,500 – 9,000
6	जमादार प्रधान लिपिक	लेखा उत्तीर्ण (विभागीय परीक्षा) अधिनायक (लिपिक) ग्रेड I, अधिनायक अनुदेशक ग्रेड I, अधिनायक (लिपिक) एवं अधिनायक अनुदेशक का चयनित पद।	4,500 – 7,000
	अधिनायक संवर्ग		
1	अधिनायक (लिपिक) ग्रेड I	अधिनायक (लिपिक) का प्रोन्नत पद ।	4,000 – 6,000

2	अधिनायक (अनुदेशक) ग्रेड I	अधिनायक (अनुदेशक) का प्रोन्नत पद ।	4,000 – 6,000
3	अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड I	अधिनायक (आयुधपाल) का प्रोन्नत पद	4,000 – 6,000
4	अधिनायक (चालक) ग्रेड I	अधिनायक (चालक) का प्रोन्नत पद	4,000 – 6,000
5	अधिनायक (लिपिक)/ अनुदेशक	75 प्रतिशत सीधी नियुक्ति / 25 प्रतिशत प्रोन्नति	3,200 – 4,900
6	अधिनायक (आयुधपाल)	आयुधपाल कर्त्तव्य में प्रशिक्षित सिपाहियों का प्रोन्नत पद	3,200 – 4,900
7	अधिनायक (चालक)	सिपाही (चालक) का प्रोन्नत पद	3,200 – 4,900
	सिपाही संवर्ग		
1	सिपाही	सीधी नियुक्ति	3,050 – 4,590
2	सिपाही (चालक)	सीधी नियुक्ति	3,050 – 4,590

नोट :– (i) सिपाही संवर्ग में पूर्व के स्वीकृत नायक एवं लांस नायक कोटि के पदों का विलय किया जाता है।

(ii) सिपाही की कोटि में से हीं आयुधपाल कार्य हेतु विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। केवल आयुधपाल प्रशिक्षित सिपाही को वरीयता एवं योग्यता के आधार पर अधिनायक (आयुधपाल) के पद पर प्रोन्नति देने हेतु विचार किया जाएगा ।

(iii) अधिनायक (लिपिक) एवं अधिनायक अनुदेशक संवर्ग के 25 प्रतिशत पदों को सिपाही द्वारा प्रोन्नति से भरा जाएगा । अधिनायक (लिपिक) के पद पर प्रोन्नति पुलिस मैनुअल में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार विभागीय परीक्षा द्वारा की जायेगी जबकि अधिनायक (अनुदेशक) के पद पर प्रोन्नति वरीयता सह योग्यता के आधार पर होगी । संवर्ग की शेष रिक्तियॉं सीधी नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी। यदि पर्याप्त मात्रा में प्रोन्नति हेतु योग्य सिपाही प्राप्त नहीं होते हैं तो वैसी स्थिति में सरकार की अनुमति प्राप्त कर सीधी नियुक्ति के प्रतिशत में वृद्धि की जा सकती है ।

(iv) जमादार प्रधान लिपिक के पद पर चयन इस नियम में निर्धारित नियमों के अनुसार अधिनायक (लिपिक) / अधिनायक अनुदेशक / अधिनायक (लिपिक) ग्रेड I / अधिनायक अनुदेशक ग्रेड I से किया जाएगा । जमादार प्रधान लिपिक के पद पर चयन हेतु विभागीय लेखा परीक्षा ली जाएगी । इस परीक्षा में केवल वैसे कर्मियों को भाग लेने दिया जाएगा जो कम से कम मैट्रीक उत्तीर्ण हों ।

(v) अधिनायक(आयुधपाल) ग्रेड I में प्रोन्नति वरीयता एवं योग्यता के आधार पर अधिनायक(आयुधपाल) में से दी जाएगी । अधिनायक(लिपिक) ग्रेड I एवं अधिनायक (अनुदेशक) ग्रेड I में प्रोन्नति वरीयता एवं योग्यता के आधार पर अधिनायक(लिपिक) एवं अधिनायक अनुदेशक की वरीयता सूची से की जाएगी।

अधिनायक(चालक) ग्रेड I में प्रोन्नति वरीयता एवं योग्यता के आधार पर अधिनायक(चालक) में से दी जाएगी ।

(vi) गुल्म समादेशक(आयुधपाल) के पद पर प्रोन्नति वरीयता एवं योग्यता के आधार पर अधिनायक(आयुधपाल) ग्रेड I से दी जाएगी । गुल्म समादेशक संवर्ग के 50 प्रतिशत पद अधिनायक(लिपिक) ग्रेड I एवं अधिनायक (अनुदेशक) ग्रेड I एवं जमादार प्रधान लिपिक की संयुक्त वरीयता सूची के अनुसार वरीयता एवं योग्यता के आधार पर भरी जाएगी । गुल्म समादेशक(परिवहन) के पद पर प्रोन्नति वरीयता एवं योग्यता के आधार पर अधिनायक(चालक) ग्रेड I से दी जाएगी ।

(vii) निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति वरीयता एवं योग्यता के आधार पर गुल्म समादेशक (आयुधपाल) एवं गुल्म समादेशक की संयुक्त वरीयता सूची के अनुसार दी जाएगी । निरीक्षक (परिवहन) के पद पर प्रोन्नति वरीयता एवं योग्यता के आधार पर गुल्म समादेशक (परिवहन) से दी जाएगी ।

(viii) एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति की कालावधि वही होगी जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाय ।

(ix) विभिन्न कोटि के पदो पर भर्ती हेतु ली जाने वाली शारीरिक परिक्षाओं का स्थान बिहार कर्मचारी चयन आयोग के निदेशानुसार निर्धारित किया जाएगा ।

(x) संगठनात्मक सारणी, सभी उपर वर्णित वर्दीधारी वेतनमान के लिए, अनुसूची – I के अनुसार होगी ।

(xi) केवल संपुष्ट कर्मी ही अगले पदों पर प्रोन्नति के योग्य होंगे ।

(xii) उपर वर्णित सभी संवर्ग राज्य स्तरीय होंगे ।

(2) – बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के समूह 'घ' के पद निम्नलिखित होंगे :–

क0	पद का नाम	प्रोन्नत / सीधी नियुक्ति / चयनित पद / पदस्थापन पर
1.	रेकर्ड सप्लायर	सीधी नियुक्ति
2.	दफ्तरी	सीधी नियुक्ति
3.	चपरासी	सीधी नियुक्ति
4.	माली	सीधी नियुक्ति
5.	चौकीदार	सीधी नियुक्ति
6.	रसोईया	सीधी नियुक्ति
7.	पनभर	सीधी नियुक्ति
8.	धोबी	सीधी नियुक्ति
9.	नाई	सीधी नियुक्ति
10.	झारूकश	सीधी नियुक्ति
11.	बढई	सीधी नियुक्ति

(3) – मुख्यालय स्तर के अन्य वैतनिक गैर–वर्दीधारी अराजपत्रित पद, जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा पदस्थापन से भरे जाने हैं या बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति द्वारा भरे जाने हैं तथा केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा में जो चिकित्सक का पद स्वास्थ्य विभाग द्वारा पदस्थापन से भरा जाना है, का उल्लेख अनुसूची – II में वर्णित है ।

5– <u>सिपाही, सिपाही (चालक), अधिनायक (लिपिक), अधिनायक अनुदेशक, अधिनायक (आयुधपाल) एवं अधिनायक (चालक) की नियुक्ति एवं प्रोन्नति – (1) सिपाही</u>

(i) महासमादेष्टा द्वारा रिक्तियों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी जिसके आधार पर रिक्तियॉ विज्ञापित की जायेंगी । शारीरिक योग्यता संबंधी जॉच बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा ली जायेगी । तत्पश्चात् लिखित परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए पाठयक्रम एवं शारीरिक जांच की मदों का निर्धारण विभाग द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण सूची बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार की जाएगी, और तदनुसार सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा महासमादेष्टा को भेजी जाएगी।

(ii) नियुक्ति पदाधिकारी समादेष्टा होंगे ।

(iii) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक या उसके समकक्ष होगी।

(iv) न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु वही होगी जो बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाय।

(v) अन्य शारीरिक अर्हताएँ वही रहेंगी जो आरक्षी की नियुक्ति हेतु पुलिस हस्तक में निर्धारित हैं ।

(vi) वैसे व्यक्ति जो गृहरक्षा वाहिनी संगठन के अन्तर्गत दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं एवं वैसे व्यक्ति जो खिलाड़ी होने के आधार पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं को सीधी नियुक्ति में प्राथमिकता एवं शिथिलीकरण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5940 दिनांक – 18/06/93 के तहत विरणित योजना तथा समय समय पर किये गये निर्धारण के अनुसार दी जायेगी, और उन्हें आवेदन देना होगा एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जॉच एवं लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा ।

(vii) नियुक्त कर्मी एक साल की परीक्ष्यमान अवधि पर रहेंगे, जिसके समाप्त होने के बाद इन्हें समादेष्टा द्वारा संपुष्ट किया जाएगा, यदि वे संपुष्टि के योग्य पाये जाएंगे । संपुष्टि की एक अनिवार्य शर्त संतोषप्रद सेवाभिलेख होगी । संपुष्टि के पूर्व बुनियादी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति तिथि से तीन वर्षो के अन्दर बुनियादी प्रशिक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं करने वाले कर्मियों को समादेष्टा द्वारा सेवा से हटाया जा सकेगा । सेवा से हटाये जाने के विरूद्ध कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में यथा बीमारी / दुर्घटना / बाढ़, सुखाड़ या अन्य प्रमुख सहायता एवं राहत के कार्य में व्यस्त

होने के कारण या प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में परीक्ष्यमान अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा ।

<u>(2) सिपाही (चालक)</u>

(i) महासमादेष्टा द्वारा रिक्तियों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी जिसके आधार पर रिक्तियॉ विज्ञापन होगा । शारीरिक योग्यता संबंधी जॉच बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा ली जायेगी । तत्पश्चात् लिखित परीक्षा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए पाठयकम एवं शारीरिक जांच की मदों का निर्धारण विभाग द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण सूची बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार की जाएगी। सफल उम्मीदवारों को मोटर चालन जॉच में भाग लेना पड़ेगा तथा मोटर चालन परीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं तदनुसार आयोग द्वारा अनुशंसा की जाएगी ।

(ii) नियुक्ति पदाधिकारी समादेष्टा होंगे ।

(iii) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक या उसके समकक्ष होगी।

(iv) न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु वही होगी जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाय ।

(v) अन्य शारीरिक अर्हताऍ वही रहेगी जो आरक्षी (चालक) की नियुक्ति हेतु पुलिस हस्तक में निर्धारित है ।

(vi) वैसे व्यक्ति जो गृहरक्षा वाहिनी संगठन के अन्तर्गत दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं एवं वैसे व्यक्ति जो खिलाड़ी होने के आधार पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं को सीधी नियुक्ति में प्राथमिकता एवं शिथिलीकरण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5940 दिनांक- 18/06/93 के तहत तथा समय समय पर किये गये निर्धारण के अनुसार दी जायेगी, और उन्हें आवेदन देना होगा एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित जॉच एवं लिखित परीक्षा में भाग लेना होगा ।

(vii) नियुक्त कर्मी एक साल की परीक्ष्यमान अवधि पर रहेंगे, जिसके समाप्त होने के बाद इन्हें समादेष्टा द्वारा संपुष्ट किया जाएगा, यदि वे संपुष्टि के योग्य पाये जाएंगे। संपुष्टि की एक अनिवार्य शर्त संतोषप्रद सेवाभिलेख होगी । संपुष्टि के पूर्व बुनियादी प्रशिक्षण में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति तिथि से तीन वर्षो के अन्दर बुनियादी प्रशिक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं करने वाले कर्मियों को समादेष्टा द्वारा सेवा से हटाया जा सकेगा । सेवा से हटाये जाने के विरूद्ध कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। समादेष्टा के द्वारा विशेष परिस्थिति में यथा बीमारी / दुर्घटना / बाढ़, सुखाड़ या अन्य प्रमुख सहायता एवं राहत के कार्य में व्यस्त होने

के कारण या प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं होने की स्थिति में परीक्ष्यमान अवधि को एक अतिरिक्त वर्ष के लिए विस्तारित किया सकेगा ।

(3) अधिनायक (लिपिक), अधिनायक अनुदेशक, अधिनायक (आयुधपाल)

(i) महासमादेष्टा द्वारा रिक्तियों की अधियाचना बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी जिसके आधार पर रिक्तियों का विज्ञापन होगा। शारीरिक योग्यता की जांच बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा ली जायेगी । तत्पश्चात् बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिनायक अनुदेशक एवं अधिनायक (लिपिक) की अलग–अलग लिखित परीक्षा ली जाएगी। पाठयकम एवं शारीरिक जांच की मदों का निर्धारण विभाग द्वारा चयन आयोग के परामर्श से किया जाएगा । उक्त परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर गुणागुण सूची बनाई जाएगी एवं अधिनायक अनुदेशक तथा अधिनायक (लिपिक) की नियुक्ति से संबंधित अनुशंसा महासमादेष्टा को भेजी जाएगी।

(ii) इस कोटि में प्रोन्नति हेतु, एक विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन महासमादेष्टा द्वारा किया जाएगा ।

(iii) नियुक्ति पदाधिकारी समादेष्टा होंगे ।

(iv) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटरमिडिएट या उसके समकक्ष होगी।

(v) सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी एवं अधिकतम आयु वही होगी जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाय ।

(vi) अधिनायक (लिपिक)/ अधिनायक अनुदेशक के पदों पर सीधी नियुक्ति संबंधित शारीरिक जांच वही होगी जो आरक्षी की नियुक्ति हेतु पुलिस हस्तक में निर्धारित है।

(vii) सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी एक साल की परीक्ष्यमान अवधि पर रहेंगे, जिसके समाप्त होने के बाद इन्हें समादेष्टा द्वारा संपुष्ट किया जाएगा यदि वे संपुष्टि के योग्य पाये जाएंगे । संपुष्टि की एक अनिवार्य शर्त संतोषप्रद सेवाभिलेख एवं उच्च स्तरीय पद पर योग्यता की क्षमता होगी । नियुक्त कर्मियों को संपुष्टि से पूर्व बुनियादी प्रशिक्षण पूर्णरूपेण उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की तिथि से तीन वर्षो के अन्दर बुनियादी प्रशिक्षण में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं करने वाले कर्मियों को समादेष्टा द्वारा सेवा से हटाया जा सकेगा । सेवा से हटाये जाने के विरूद्ध कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

(4) अधिनायक (चालक)

(i) सिपाही (चालक) की प्रोन्नति वरीयता एवं योग्यता के आधार पर अधिनायक (चालक) के पद पर की जाएगी ।

(ii) प्रोन्नति के शेष प्रावधान वही होंगे जो नियम –5 के उप–नियम (3) में निर्धारित है।

6– <u>जमादार प्रधान लिपिक / अधिनायक(लिपिक) ग्रेड I / अधिनायक(अनुदेशक) ग्रेड I / अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड I / अधिनायक (चालक) ग्रेड I की नियुक्ति / प्रोन्नति – (1) जमादार प्रधान लिपिक</u>

(i) अधिनायक (लिपिक) / अधिनायक अनुदेशक / अधिनायक (लिपिक) ग्रेड I / अधिनायक (अनुदेशक) ग्रेड I के केवल वही कर्मी जिन्होंने लगातार दो वर्ष तक लेखा का कार्य संतोषजनक ढंग से निष्पादित किया हो तथा उक्त अवधि में उनका सेवाभिलेख एवं आचरण संतोषजनक पाया गया हो, को ही महासमादेष्टा के द्वारा विभागीय लेखा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी । उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर जमादार प्रधान लिपिक के पद पर चयन वरीयता, योग्यता एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर किया जाएगा ।

(ii) नियुक्ति पदाधिकारी उप–महासमादेष्टा होंगे ।

(iii) इस पद पर प्रोन्नति हेतु विचार महासमादेष्टा द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा ।

(iv) विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा तैयार की गयी कार्यवाही महासमादेष्टा को भेजी जाएगी । तत्पश्चात् उसके आधार पर उप–महासमादेष्टा प्रोन्नति आदेश निर्गत करेंगे ।

(v) प्रोन्नति के अन्य प्रावधान नियम– 5 के उप– नियम (3) में वर्णित प्रावधान के समान होंगे ।

<u>(2) अधिनायक ग्रेड I, अधिनायक (आयुधपाल) ग्रेड I, अधिनायक (चालक) ग्रेड I</u>

इन पदो पर प्रोन्नति नियम– 4 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विचारित होगी।

7. <u>गुल्म समादेशक, गुल्म समादेशक (आयुधपाल) एवं गुल्म समादेशक (परिवहन), निरीक्षक एवं निरीक्षक (परिवहन) की नियुक्ति एवं प्रोन्नति – (1) गुल्म समादेशक, गुल्म समादेशक (आयुधपाल) एवं गुल्म समादेशक (परिवहन)</u>

(i) गुल्म समादेशक की सीधी नियुक्ति की अर्हता वही होगी जो नियम 5(1)(i) में निहित है ।

(ii) नियुक्ति / प्रोन्नति पदाधिकारी उप–महासमादेष्टा होंगे ।

(iii) इस पद पर प्रोन्नति हेतु विचार के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन महासमादेष्टा द्वारा किया जायेगा।

(iv) समिति द्वारा तैयार की गयी कार्यवाही महासमादेष्टा को भेजी जाएगी तत्पश्चात् उसके आधार पर उप–महासमादेष्टा प्रोन्नति आदेश निर्गत करेंगे।

(v) सीधी भर्ती से नियुक्त पदाधिकारी एक साल की परीक्षयमान अवधि पर रहेंगे, जिसके समाप्त होने के बाद संपुष्टि के योग्य पाये जाने पर इन्हें उप–महासमादेष्टा

द्वारा संपुष्ट किया जाएगा । संपुष्टि की अनिवार्य शर्त संतोषप्रद सेवाभिलेख एवं उच्च स्तरीय पद पर योग्यता की क्षमता एवं विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता होगी।

(2) निरीक्षक एवं निरीक्षक (परिवहन)

(i) इन पदों पर प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन महासमादेष्टा द्वारा किया जायेगा ।

(ii) विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर प्रोन्नति पर विचार किया जाएगा और, तदोपरांत प्रोन्नति आदेश महासमादेष्टा द्वारा निर्गत किया जाएगा ।

8. जिला समादेष्टा, प्रमंडलीय समादेष्टा एवं वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा की नियुक्ति एवं प्रोन्नति –

(1) सीधी भर्त्ती से नियुक्त जिला समादेष्टा :–

(i) संवर्गीय बल के 50 प्रतिशत पद सीधी नियुक्ति से भरे जायेंगे और शेष 50 प्रतिशत पद निरीक्षक से प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे ।

(ii) इनकी नियुक्ति / संपुष्टि / प्रोन्नति / प्रशिक्षण / पारस्परिक वरीयता / प्रोन्नत पदाधिकारियों के साथ पारस्परिक वरीयता एवं अन्य सेवा शर्तें सरकार द्वारा आरक्षी उपाधीक्षक संवर्ग के लिए निर्धारित नियमों एवं प्रकिया के अनुसार होगी ।

(iii) सीधी भर्त्ती के लिए न्यूनतम तथा अधिकतम आयुसीमा एवं शारीरिक / शैक्षणिक अर्हता परीक्ष्यमान अवधि आदि सीधी भर्ती से नियुक्त आरक्षी उपाधीक्षक संवर्ग के पदाधिकारियों के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा / अधिकतम आयु सीमा / शारीरिक / शैक्षणिक अर्हता / परीक्ष्यमान अवधि के समान होंगे ।

(2) जिला समादेष्टा पद पर प्रोन्नति :–

(i) निरीक्षक कोटि से जिला समादेष्टा के पद पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक होगी ।

(ii) प्रोन्नति के लिए विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष / सदस्य की अध्यक्षता में किया जाएगा।

(3) प्रमंडलीय समादेष्टा / (4) वरीय प्रमंडलीय समादेष्टा :–

इन पदों पर प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रकिया के अधीन होगी ।

9. आशु टंकक, रेकर्ड कीपर के पद पर नियुक्ति –

(i) इन पदों पर नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा के अनुसार की जाएगी ।

(ii) उप–महासमादेष्टा नियुक्ति पदाधिकारी होंगे ।

(iii) इन पदों के लिए अर्हता, सेवा शर्तें आदि वहीं होगी जो प्रासंगिक सरकारी नियमों में निर्धारित है ।

10. **समूह 'घ' पदों पर नियुक्ति –**

(i) पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे ।

(ii) समादेष्टा नियुक्ति पदाधिकारी होंगे ।

(iii) इन पदों पर नियुक्ति हेतु चयन महासमादेष्टा द्वारा समादेष्टा की अध्यक्षता में गठित एक चयन समिति द्वारा की जाएगी । इसमें दो प्रमंडलीय समादेष्टा रहेंगे, जिनमें से एक अनुसूचित जाति / जनजाति का सदस्य होगा ।

(iv) इन पदों के लिए अर्हता, सेवा शर्तें आदि वहीं होगी जो संबंधित सरकारी नियमों में निर्धारित है ।

(v) वैसे व्यक्ति जो गृहरक्षा वाहिनी संगठन के अन्तर्गत दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं एवं वैसे व्यक्ति जो खिलाड़ी होने के आधार पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत हैं को सीधी नियुक्ति में प्राथमिकता एवं शिथिलीकरण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 5940 दिनांक– 18/06/93 के तहत विरणित योजना तथा समय समय पर किये गये निर्धारण के अनुसार दी जायेगी ।

11. **महासमादेष्टा द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश –**

पुलिस एक्ट की धारा 7 एवं 12 तथा पुलिस हस्तक के नियम 8 के प्रावधानों के अनुरूप महासमादेष्टा समय–समय पर स्थायी सैन्य आदेश निर्गत कर सकते हैं, जिसकी वही मान्यता होगी जैसा कि महानिदेशक–सह–आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार के द्वारा निर्गत किये गये पुलिस आदेश की होती है ।

12. **निरसन एवं व्यावृत्तियाँ–**

राज्य सरकार के सभी नियम / परिपत्र एवं आदेश इस सेवा के सदस्यों के ऐसे सभी मामलों में जो इस नियम के अंतर्गत आच्छादित न हों, हू–ब–हू लागू होंगे । अन्य सभी विषय जो इस नियमावली में वर्णित नहीं हो, के संबंध में आरक्षी हस्तक के प्रावधान लागू होंगे । इससे पूर्व के सभी नियम / आदेश / अनुदेश आदि निरसित समझे जाएंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा0 ए0के0 विश्वास
सरकार के आयुक्त एवं सचिव,
गृह विभाग ।

अधिसूचना संख्या – एल/एच0जी0/1555/01 6629 दिनांक 2·9·01 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा0 ए0के0 विश्वास
सरकार के आयुक्त एवं सचिव,
गृह विभाग ।

अनुसूची – I – संगठनात्मक सारणी
[नियम – 4, नोट :– (ix)]

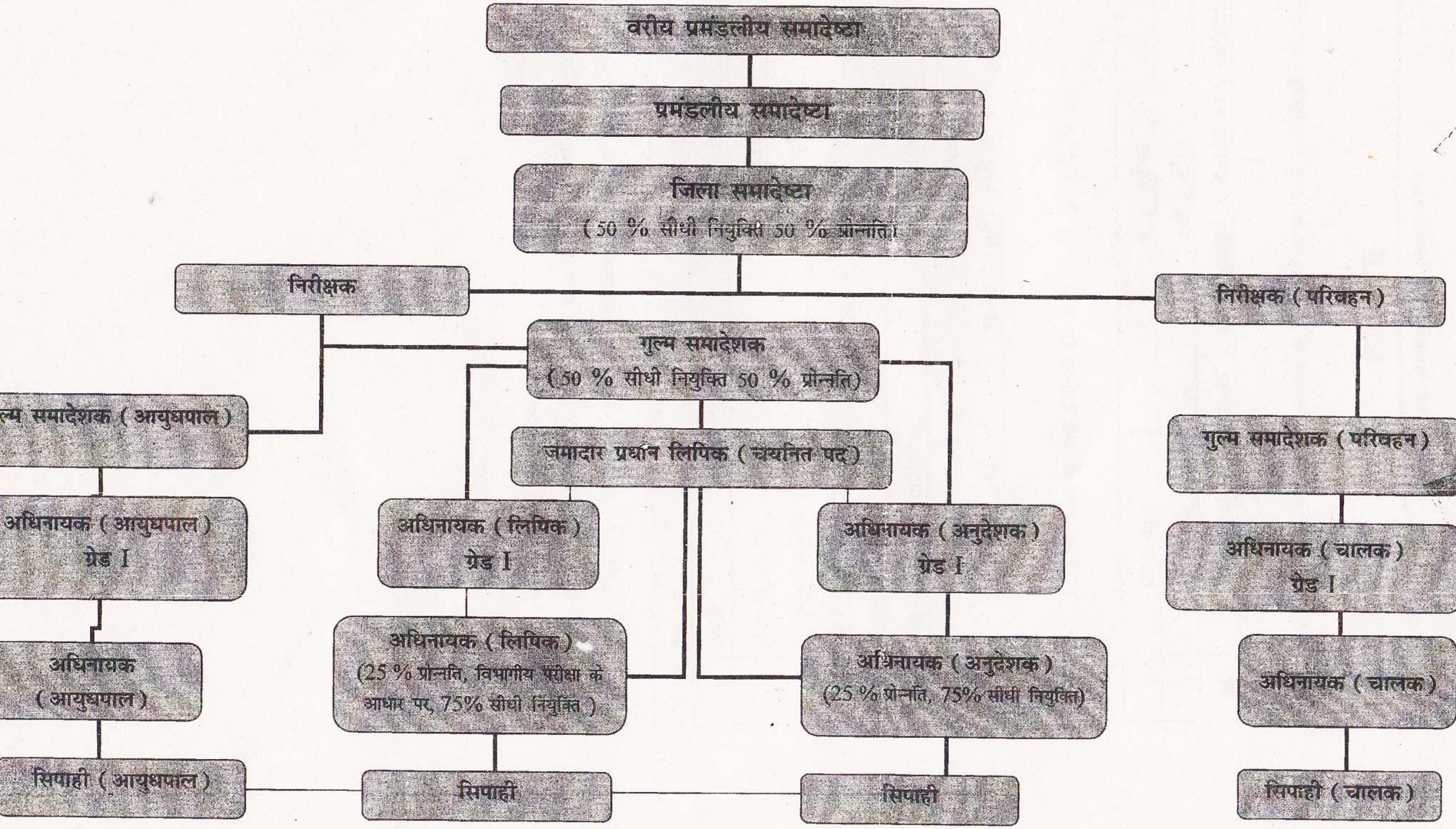

अनुसूची – II

क– बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन के गैर वर्दीधारी कोटि के निम्नलिखित पद होंगे:–

क0	पद का नाम	प्रोन्नत / सीधी नियुक्ति / चयनित पद / पदस्थापन पर
1.	आशुटंकक	सीधी नियुक्ति
2.	रेकर्ड कीपर	सीधी नियुक्ति

ख– मुख्यालय स्तर के अन्य वैतनिक गैर वर्दीधारी पद निम्नलिखित होंगे :–

क0	पद का नाम	प्रोन्नत / सीधी नियुक्ति / चयनित पद / पदस्थापन पर
1.	लेखा–सह–प्रशासी पदाधिकारी	पदस्थापन पर
2.	प्रशाखा पदाधिकारी	पदस्थापन पर
3.	महासमादेष्टा के निजी सहायक	पदस्थापन पर
4.	सचिवालय सहायक	पदस्थापन पर
5.	दिनचर्या लिपिक	पदस्थापन पर
6.	टंकक	पदस्थापन पर
7.	प्रारूपक	पदस्थापन पर

ग– बिहार गृह रक्षा वाहिनी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा में राज्य स्तरीय राजपत्रित कोटि का चिकित्सा पदाधिकारी का एक पद होगा, जिसपर पदस्थापन प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा ।

Home (Special) Department
Notification

The 2nd September, 2005

No. 6629/LHG-1555/2001—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules for apointment and promotion in all grades of the Bihar Home Guards Service:—

Bihar Home Guards Service Rules, 2005

1- **Short title, Extent and Commencement.** –(1) These Rules may be called the Bihar Home Guards Service Rules, 2005.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2- **Definitions. -** In these Rules, unless the context otherwise requires :-

(a) "Bihar Home Guards Act" means the Bihar Home Guards Act, 1947 ;

(b) "Bihar Home Guards Rules" means the Bihar Home Guards Rules, 1953 ;

(c) "Bihar Home Guards Service" means the salaried officers and personnel of the State Home Guards Service ;

(d) "Governor" means the Governor of Bihar ;

(e) "Government" means the Government of Bihar ;

(f) "Commandant General" means Commandant General of Home Guards Services of Bihar ;

(g) "Additional Commandant General" means Additional Commandant General of Home Guards Services of Bihar ;

(h) "Deputy Commandant General" means Deputy Commandant General of Home Guards Services of Bihar ;

(i) "Commandant" means Commandant of Home Guards Services of Bihar ;

(j) "Headquarter" means the office of Commandant General, Home Guards ;

(k) "Home Guards" means a person appointed as a Home Guard volunteer under section 2(a) of the Home Guards Act, 1947 and under rule 4 of the Home Guards Rules, 1953 ;

(l) "Police Manual" means Bihar Police Manual, 1978 (as amended from time to time) ;

(m) "Department" means the Home (Special) Department of the Government of Bihar.

3- **The duties and responsibilities of the paid employees.** - Under the control of the Commandant General, the duties and responsibilities of the salaried officers and employees of the different grade shall be as follows :-

(a) To train the Home Guards to enable them to serve as an auxiliary to the police and generally help in maintaining internal security, to help the community in any kind of emergency, an air raid, a fire, a flood, an epidemic, natural disasters etc. to provide them leadership in discharging the above responsibilities, to maintain high level of discipline and morale in the force and to be responsible for their welfare.

(b) To raise specially trained functional units to provide essential services, such as motor transport, pioneer and engineer groups, fire brigades, nursing and first aid, operation of water and power-supply installations, etc.

(c) Deputation of home guards in accordance with the Home Guards Act / Rules, to provide uniform and accouterments as provided from time to time by the headquarter, to exercise administrative control over them and to ensure financial discipline.

(d) In addition to the above duties to discharge functions as laid down in the Home Guards Act and Rules as well as the Police Manual and to get those Rules implemented.

4- **Salaried posts. -**(1) The uniformed Bihar Home Guards service cadres will consist of the following posts :-

Sl. No.	**Name of Post**	**Promotion / direct appointment / selection post**	**Pay Scale**
1	2	3	4
	Commandant Cadre		
1	Senior Divisional Commandant	Promotion post	12,000 – 16,500
2	Divisional Commandant	Promotion post	10,000 – 15,200
3	District Commandant	50% promotion 50% direct recruitment	6,500 – 10,500
	Company Commander Cadre		
1	Inspector	Promotion post	6,500 – 10,500
2	Inspector (Transport)	Promotion post	6,500 – 10,500
3	Company Commander	50% promotion 50% direct recruitment	5,500 – 9,000
4	Company Commander (Armourer)	Promotion post for Havildar (Armourer) Grade I	5,500 – 9,000
5	Company Commander (Transport)	Promotion post for Havildar (Driver) Grade I	5,500 – 9,000
6	Jamadar Head Clerk	Selection post for Accounts pass (departmental examination) personnel of the Havildar (Clerk) Grade I, Havildar (Instructor) Grade I, Havildar (Clerk) and Havildar Instructor.	4,500 – 7,000
	Havildar Cadre		
1	Havildar (Clerk) Grade I	Promotion post for Havildar (Clerk)	4,000 – 6,000
2	Havildar (Instructor) Grade I	Promotion post for Havildar (Instructor)	4,000 – 6,000
3	Havildar (Armourer) Grade I	Promotion post for Havildar (Armourer)	4,000 – 6,000
4	Havildar (Driver) Grade I	Promotion post for Havildar (Driver)	4,000 – 6,000
5	Havildar(Clerk)/ Havildar Instructor	75% direct recruitment 25% promotion	3,200 – 4,900
6	Havildar (Armourer)	Promotion post for Sepoys trained for Armourer work.	3,200 – 4,900
7	Havildar (Driver)	Promotion post for Sepoy (Driver)	3,200 – 4,900
	Sepoy Cadre		
1	Sepoy	Direct recruitment	3,050 – 4,590
2	Sepoy (driver)	Direct recruitment	3,050 – 4,590

Note :-

(i) The earlier sanctioned posts of Naik and Lance Naik have been amalgamated with the posts of Sepoy.

(ii) From amongst the Sepoys, personnel will be trained to do the work of armourer. Only such Sepoys who have been trained as armourer would be considered for promotion to the posts of Havildar (Armourer), according to seniority and fitness.

(iii) 25% posts of the cadre strength of Havildar (Clerk) and Havildar Instructor will be filled up by promotion of Sepoys, whereas promotion to the post of Havildar (Instructor) will be considered on the basis of seniority and fitness. For promotion to the post of Havildar (Clerk) departmental examination prescribed in the Police Manual will be taken. The Remaining cadre strength will be filled up by direct recruitment. If sufficient number of fit Sepoys are not available for promotion then with the permission of the govt. direct recruitment percentage may be increased.

(iv) Selection to the post of Jamadar Head Clerk will be done as prescribed in these rules from Havildar (Clerk) / Havildar Instructor / Havildar (Clerk) Grade I / Havildar (Instructor) Grade I. For selection to the post of Jamadhar Head Clerk a departmental account examination will be taken. In this examination only those personnel will be eligible who are at least matric pass.

(v) Promotion to the post of Havildar (Armourer) Grade I will be done as per seniority from fit Havildar (Armourers). Promotion to the post of Havildar (Clerk) Grade I and Havildar (Instructor) Grade I will be done by seniority and fitness from the gradation list of Havildar(Clerk) and Havildar (Instructor). Promotion to the post of Havildar (Driver) Grade I will be done from Havildar (Driver).

(vi) Promotion to the post of Company Commander (Armourer) will be done from Havildar (Armourer) Grade I as per seniority and fitness. 50% posts of the cadre strength of the Company Commander will be filled up by promotion on the basis of a joint seniority list of Havildar (Clerk) Grade I, Havildar (Instructor) Grade I and Jamadar Head Clerk as per seniority and fitness. Promotion to the post of Company Commander (Transport) will be done from the Havildar (Driver) Grade I as per seniority and fitness.

(vii) Promotion to the post of Inspector will be done according to seniority and fitness from a joint gradation list of Company Commander (Armourer) and Company Commander. Promotion to the post of Inspector (Transport) will be done as per seniority and fitness from Company Commander (Transport).

(viii) The KALAWADHI for promotion from one post to the other shall be as prescribed by the Personnel & Administrative Reforms Department from time to time.

(ix) The place of physical tests for recruitment to different posts, will be located as directed by the Bihar Staff Selection Commission.

(x) The Organizational Chart, of all the above mentioned uniformed grades, is according to Schedule – I.

(xi) Only confirmed personnel will be eligible for promotion to the next higher post.

(xii) All the above mentioned cadres shall be State level cadres.

(2) The Bihar Home Guards organization shall have the following Group – "D" posts.-

Sl. No.	Name of Post	Promotion / direct appointment / selection post
1	Record Supplier	Direct Appointment
2	Daftari	Direct Appointment
3	Peon	Direct Appointment
4	Mali	Direct Appointment
5	Watchman	Direct Appointment
6	Cook	Direct Appointment
7	Water Carrier	Direct Appointment
8	Washer Man	Direct Appointment
9	Barber	Direct Appointment
10	Sweeper	Direct Appointment
11	Carpenter	Direct Appointment

(3) Other headquarter level non- uniformed non-gazetted paid posts, which are to be filled up on posting by the Personnel & Administrative Reforms Department or on appointment on recommendation of the Bihar Staff Selection Commission and the post of Doctor in Central Training Institute, Bihta, which is to be filled up on posting by the Health Department, find mention in Schedule – II.

5- **Appointment and promotion of Sepoy, Sepoy (Driver), Havildar (Clerk) / Havildar Instructor / Havildar (Armourer) / Havildar (Driver). –**

(1) Sepoy

(i) The Commandant General will send a requisition of vacancies to Bihar Staff Selection Commission on the basis of which vacancies will be advertised. The physical fitness tests shall be taken by a committee constituted by the Bihar Staff Selection Commission. Thereafter written test shall be conducted by the Bihar Staff Selection Commission. The syllabus for written test and items for physical tests shall be determined by the Department in consultation with the Bihar Staff Selection Commission. Merit list shall be prepared by the Bihar Staff Selection Commission according to the marks obtained in the written test, and accordingly recommendation for appointment as Sepoy will be sent to the Commandant General.

(ii) The Commandant will be the appointing authority.

(iii) The minimum educational qualification shall be matric or equivalent.

(iv) The minimum age limit shall be 18 years and upper age shall be the same as fixed up by the Government from time to time.

(v) Other physical qualifications shall be the same as that prescribed in the Police Manual with respect to Constables.

(vi) The persons engaged on daily wages in the Home Guards organization and the persons engaged on the basis of their being sportsman on daily wages shall be given weightage and relaxations in the direct recruitment in accordance with the scheme framed under Personnel & Administrative Reforms Department resolution no. 5940 dated 18/06/1993 and as prescribed from time to time, and they shall have to apply and appear in the tests and examinations conducted by the Bihar Staff Selection Commission.

(vii) Recruited personnel shall remain on probation for one year, who after completion of the said period will be confirmed by the Commandant if found suitable for confirmation. The one essential condition for confirmation will be satisfactory service particulars. Before being confirmed it will be compulsory for the personnel to successfully complete the basic training. If the basic training is not successfully completed within three years of the date of appointment the Commandant may remove such personnel from service. No representation will be entertained against such removal from service. Under special circumstances, such as illness / accident / preoccupation in flood or draught relief work or in any other important relief and rescue work or in the event of the training course not being organized, probation period may be extended by one additional year.

(2) Sepoy (Driver)

(i) The Commandant General will send a requisition of vacancies to Bihar Staff Selection Commission on the basis of which vacancies will be advertised. The physical fitness tests shall be taken by a committee constituted by the Bihàr Staff Selection Commission. Thereafter written test shall be conducted by the Bihar Staff Selection Commission. The syllabus for written test and items for physical tests shall be determined by the Department in consultation with the Bihar Staff Selection Commission. A merit list of candidates shall be prepared by the Commission accordingly the marks obtained in the written test. The successful candidates shall have to go through the driving test and on the basis of the driving test a final merit list shall be prepared and recommendation will be made by the Commission accordingly.

(ii) The Commandant will be the appointing authority.

(iii) The minimum educational qualification shall be matric or equivalent.

(iv) The minimum age limit shall be 18 years and upper age will be the same as fixed up by the Government from time to time.

(v) Other physical qualifications will be the same as that prescribed in the Police Manual with respect to Constable (driver).

(vi) The persons engaged on daily wages in the Home Guards organization and the persons engaged on the basis of their being sportsman on daily wages shall be given weightage and relaxations in the direct recruitment in accordance with the scheme framed under Personnel & Administrative Reforms Department resolution no. 5940 dated 18/06/1993 and as prescribed from time to time and they shall have to apply and appear in the tests and examinations conducted by the Bihar Staff Selection Commission.

(vii) The appointed personnel shall remain on probation for one year, who after completion of the said period will be confirmed by the Commandant if found suitable for confirmation. The one essential condition for confirmation will be satisfactory service particulars and the capability for shouldering the responsibilities commensurate with a higher post. Before being confirmed it will be compulsory for the personnel to successfully complete the basic training. If the basic training is not successfully completed within three years of the date of appointment the Commandant may remove such personnel from service. No representation will be entertained against such removal from service. Under special circumstances, such as illness / accident / preoccupation in flood or draught relief work or in any other important relief and rescue work or in the event of the training course not being organized, the probation period may be extended by one additional year.

(3) Havildar (Clerk), Havildar Instructor, Havildar (Armourer)

(i) For direct recruitment the Commandant General will send a requisition of vacancies to the Bihar Staff Selection Commission on the basis of which vacancies will be advertised. The physical fitness tests will be taken by a committee constituted by the Commission. Thereafter separate written tests will be taken by the Commission in respect to Havildar (Instructor) and Havildar (Clerk). The syllabus and items for physical fitness test shall be determined by the Department in consultation with the Bihar Staff Selection Commission. The test for Havildar (Clerk) will be the same as prescribed in the Police Manual. Merit list will be prepared according to the marks obtained in those tests, and recommendation for appointment as Havildar (Instructor) / Havildar (Clerk) will be sent to the Commandant General.

(ii) To consider promotion to this grade, a departmental promotion committee shall be constituted by the Commandant General.

(iii) The Commandant will be the appointing authority.

(iv) For direct recruitment the minimum educational qualification shall be Intermediate pass or equivalent.

(v) The minimum age limit for direct appointment shall be 18 years and upper age will be the same as fixed by the Government from time to time.

(vi) The physical tests for direct recruitment to the post of Havildar (Clerk) / Havildar Instructor will be the same as that prescribed for the recruitment of a police constable in the police manual.

(vii) The directly appointed personnel shall remain on probation for one year, who after completion of the said period will be confirmed by the Commandant if found suitable for confirmation. The one essential condition for confirmation will be satisfactory service and the capability for shouldering the responsibilities commensurate with a higher post. Before being confirmed it will be compulsory for the directly recruited personnel to successfully complete the basic training. If the basic training is not successfully completed within three years of the date of appointment the Commandant may remove such personnel from service. No representation will be entertained against such removal from service.

(4) Havildar (Driver)

(i) Sepoy (Driver) will be promoted to the rank of Havildar (Driver) according to seniority and fitness.

(ii) Other conditions of promotion shall be the same as prescribed in sub- rule (3) of rule 5.

6- **Promotion / Selection of Jamadar Head Clerk / Havildar (Clerk) Grade I / Havildar (Instructor) Grade I / Havildar (Armourer) Grade - I / Havildar (Driver) Grade – I. -**

(1) Jamadar Head Clerk

(i) Only such personnel of the Havildar (Clerk) / Havildar Instructor / Havildar Grade I, who for two continuous years have satisfactorily discharged the account work and whose service particulars and performance during the said period have been found satisfactory, will be permitted by Commandant General to appear in Departmental Accounts examination. After being successful in the Accounts examination they will be considered for selection to the post of Jamadar Head Clerk, according to seniority, fitness and roster points.

(ii) The appointing authority shall be the Deputy Commandant General.

(iii) The promotion to these posts will be considered by a Departmental Promotion Committee constituted by the Commandant General.

(iv) Minutes prepared by the Departmental Promotion Committee will be sent to Commandant General. Thereafter on that basis Deputy Commandant General will issue promotion order.

(v) Other conditions of promotion shall be the same as prescribed in sub- rule (3) of rule 5.

(2) Havildar (Clerk) Grade I, Havildar (Instructor) Grade I, Havildar (Armourer) Grade I, Havildar (Driver) Grade I

Promotion to these posts will be considered as prescribed in rule 4.

7- **Appointment and promotion of Company Commander, Company Commander (Armourer) and Company Commander (Transport), Inspector and Inspector (Transport). -**

(1) Company Commander, Company Commander (Armourer) and Company Commander (Transport)

(i) For direct recruitment to the post of Company Commander the same criteria shall apply as laid down in rule 5(1)(i).

(ii) The appointing / promoting authority shall be the Deputy Commandant General.

(iii) For considering promotion to these posts a Departmental Promotion Committee will be constituted by the Commandant General.

(iv) The minutes prepared by the committee will be sent to Commandant General and thereafter on that basis promotion order will be issued by the Deputy Commandant General.

(v) The directly appointed officers will remain on probation for a period of one year, on completion of which if found fit for confirmation they will be confirmed by Deputy Commandant General. The essential condition of confirmation will be satisfactory service and the capability of shouldering responsibilities commensurate with a higher post and passing of Departmental examination.

(2) Inspector and Inspector (Transport)

(i) For considering promotion to these posts a departmental promotion committee will be constituted by the Commandant General.

(ii) On the basis of recommendation of the Departmental Promotion Committee the promotion will be considered and the promotion order will be issued by the Commandant General.

8- **Appointment and promotion of District Commandant, Divisional Commandant and Senior Divisional Commandant. -**

(1) **District Commandant appointed by direct recruitment**

(i) The 50% posts of cadre strength will be filled up by direct recruitment and rest 50% posts will be filled up by promotion from Inspector.

(ii) The appointment / confirmation / promotion / training / inter-se seniority / inter-se seniority viz-a-viz officers appointed by promotion and other service conditions would be according to the rules and procedures as laid down by the Government for the cadre of Deputy Superintendent of Police.

(iii) For direct recruitment the minimum and maximum age limits and physical / educational qualifications / probation period etc. shall be the same as that of the directly appointed officers of the cadre of Deputy Superintendent of Police.

(2) **Promotion to the post of District Commandant**

(i) The minimum educational qualification for promotion from the rank of Inspector to District Commandant shall be Graduate.

(ii) For consideration of promotion a Departmental Promotion Committee shall be constituted under the chairmanship of the Chairman / Member of the Bihar Public Service Commission.

(3) **Divisional Commandant / (4) Senior Divisional Commandant**

The promotion to these posts and other service conditions shall be regulated according to rules and procedures as laid down by the Government.

9- **Appointment of Steno (typist), Record Keeper. -**

(i) Appointment to these posts will be done on the recommendation of the Bihar Staff Selection Commission.

(ii) The Deputy Commandant General will be appointing authority.

(iii) For these posts the eligibility, service conditions etc. will be as provided for in the relevant government rules.

10- **Appointment to Group "D" posts**

(i) Posts will be filled by direct recruitment.

(ii) Appointing authority shall be the Commandant.

(iii) The recruitment to these posts will be done by a Selection Committee constituted by the Commandant General under the chairmanship of Commandant. This will include two Divisional Commandants, out of which one will be member of SC / ST.

(iv) For these posts the eligibility, service conditions etc. will be the same as provided for in the relevant government rules.

(v) The persons engaged on daily wages in the Home Guards organization and the persons engaged on the basis of their being sportsman on daily wages shall be given weightage and relaxations in the direct recruitment in accordance with the scheme framed under Personnel & Administrative Reforms Department resolution no. 5940 dated 18/06/1993 and as prescribed from time to time.

11. **Orders issued by the Commandant General from time to time. -**

As provided in Sections 7 and 12 of the Police Act and in rule 8 of the Police Manual the Commandant General may, from time to time, issue Standing Force Orders, which will have the same status as Police Orders issued by the DG & IG of Police, Bihar.

12. **Repeal and savings :-**

All the Rules / circulars and orders issued by the government will be ipso facto applicable to members of this service in so far as they do not specifically conflict with these rules. Other matters, not dealt with under these Rules, will be governed by the provisions of the Police Manual. All previous Rules / order / directions etc. shall be repealed.

By orders of the Governor of Bihar,

(Dr. A.K. Biswas)
Commissioner & Secretary to the Government,
Home Department.

Schedule – I – Organizational Chart
[Rule –4, Note :- (ix)]

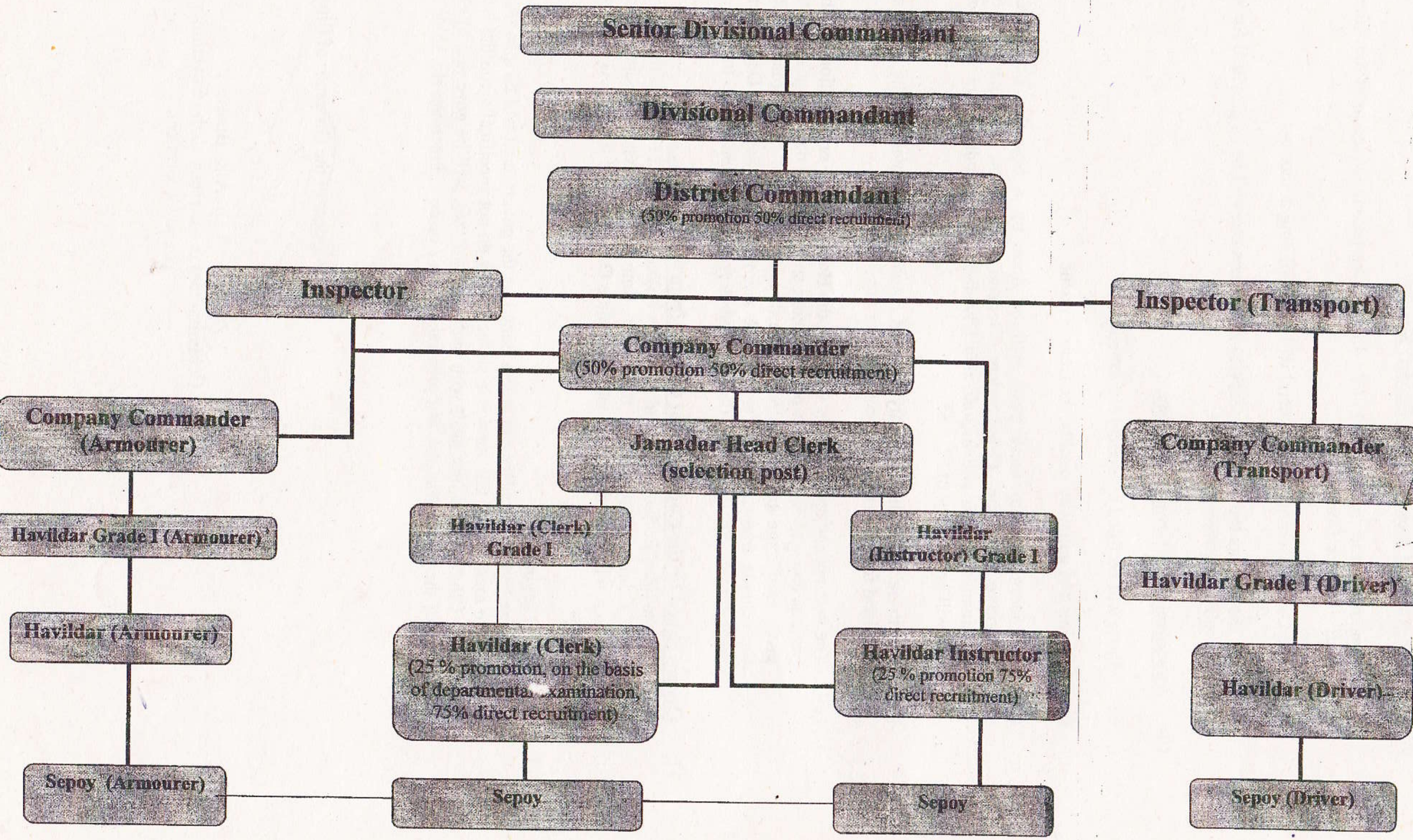

Schedule - II

(a) The followings posts will be for non-uniformed personnel :-

Sl. No.	Name of Post	Promotion / direct appointment / selection post / by posting
1	Steno typist	Direct appointment
2	Record Keeper	Direct appointment

(b) The other non-uniformed salaried posts in the Headquarters will be the following:-

Sl. No.	Name of Post	Promotion / direct appointment / selection post / by posting
1	Account – cum – Administrative Officer	By posting
2	Section Officer	By posting
3	P.A. to Commandant General	By posting
4	Secretariat Assistant	By posting
5	Lower Division Clerk	By posting
6	Typist	By posting
7	Drafts Man	By posting

(c) In Bihar Home Guards Central Training Institute, Bihta there will be a State level gazetted post of a Medical Officer to be filled up by deputation from the Health department.

[illegible]
[illegible]
बिहार गजट (असाधारण), 502—साईं०—571—200—एन० एन० हुसन